Australian Government
Department of Home Affairs

जो नियोक्ता माइग्रेंट कामगारों का शोषण करते हैं उन्हें एक निश्चित अवधि तक अन्य अस्थाई वीज़ा धारकों को भर्ती करने पर निषेध का सामना करना पड़ता है

नियोक्ता अनुपालन वृद्धि अधिनियम (Strengthening Employer Compliance Act) के माध्यम से, माइग्रेंट कामगारों की शोषण से रक्षा करने वाले नए क़ानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं।

निषेध की घोषणाओं का उद्देश्य असुरक्षित अस्थाई माइग्रेंट कामगारों की शोषण से रक्षा करना तथा नियोक्ताओं एवम् रोज़गार एजेंसियों द्वारा अनुपालन को बढ़ावा देना है।

यदि किसी व्यक्ति या व्यवसाय द्वारा माइग्रेशन अधिनियम (Migration Act), फेयर वर्क अधिनियम (Fair Work Act) या दण्ड संहिता (Criminal Code) के उन भागों की अवहेलना की जाती है जो अस्थाई माइग्रेंट कामागारों के साथ व्यवहार से संबंधित है, तो ये घोषणाएँ की जा सकती हैं। ये घोषणाएँ तब भी की जा सकती हैं जब व्यक्तियों या व्यवसायों द्वारा अनुपालन नोटिसों, प्रवर्तनीय (लागू करने योग्य) स्वीकृतियों, या प्रायोजन (स्पोन्सरशिप) उत्तरदायित्वों का पालन नहीं किया जाता है।

निषिद्ध नियोक्ताओं या रोज़गार एजेंसियों का नाम और एबीएन (ABN) ऑस्ट्रेलियाई सीमा सुरक्षा बल (Australian Border Force) की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। निषेध की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, वे पुनः अस्थाई माइग्रेंट्स की भर्ती कर सकते हैं परंतु उन्हें रिपोर्टिंग से संबंधित विशेष आवश्यकताओं का पालन अवश्य करना होगा।

निषेध की घोषणा की अवहेलना करना एक दण्डनीय अपराध है। दण्डों में शामिल हैं:

- व्यक्ति के लिए 2 वर्ष तक की जेल एवम्/अथवा, 360 पेनल्टी युनिट्स (जो कि वर्तमान में $118,800 का ज़ुर्माना है) या ये दोनों, अथवा 240 पेनल्टी युनिट्स (जो कि वर्तमान में $75,120 का ज़ुर्माना है) का दीवानी (सिविल) दण्ड।
- बॉडी कॉर्पोरेट के लिए, दण्डात्मक मामलों में अधिकतम 1,800 पेनल्टी युनिट्स (जो कि वर्तमान में $594,000 है), अथवा 1,200 पेनल्टी युनिट्स (जो कि वर्तमान में $396,000 है) का दीवानी (सिविल) दण्ड।

माइग्रेंट कामगारों को शोषण की रिपोर्ट फ़ेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman) या बोर्डर वॉच (Border Watch) को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निषिद्ध नियोक्ताओं पर क्या करने की रोक होती है?

एक निषिद्ध नियोक्ता (चाहे वह एक व्यक्ति हो या बॉडी कॉर्पोरेट) एक निश्चित अवधि के लिए अतिरिक्त अस्थाई वीज़ा धारकों को काम पर नहीं रख सकते हैं।

नियोक्ता पर निषेध की घोषणा कितने समय तक लागू रहती है?

- मानव तस्करी तथा आधुनिक दासता से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम समय की सीमा नहीं है।
- दण्डनीय अपराध के लिए अधिकतम 10 वर्ष की समय सीमा है (मानव तस्करी तथा आधुनिक दासता से संबंधित अपराधों को छोड़कर)।
- माइग्रेंट कामगारों से संबंधित अन्य सभी प्रतिबंधों के लिए 5 वर्ष तक की समय सीमा है।

निषिद्ध नियोक्ता के कामगारों के साथ क्या होता है?

माइग्रेंट कामगारों के लिए कोई दण्ड नहीं है। नियोक्ता के यहाँ पहले से काम कर रहे कामगार यह निर्णय ले सकते हैं कि वे उस नियोक्ता के यहाँ काम करना जारी रखना चाहते हैं या नहीं।

क्या कोई नियोक्ता निषिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील कर सकता है?

हाँ। नियोक्ता/तृतीय पक्ष को संभावित निषेध के कारणों के विवरण वाला एक नोटिस प्राप्त होगा। उनके पास इस बारे में अपना उत्तर लिखित रूप में जमा करवाने के लिए 28 दिन का, या नोटिस में बताई गई अवधि का समय होगा जिसमें उन्हें लिखित में यह स्पष्ट करना होगा कि उनको एक निषिद्ध नियोक्ता घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

माइग्रेंट कामगारों के अधिकार	माइग्रेंट कामगार शोषण से संबंधित नए क़ानून	बोर्डर वॉच (Border Watch)	फ़ेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman)